न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 50/2023

1. धन्नालाल पुत्र हनुमान
2. प्रेमचन्द पुत्र हनुमान
3. मोतीलाल पुत्र हनुमान
4. रामकिशोर पुत्र हनुमान

समस्त जाति कुमावत निवासीयान गोजडा की ढाणी, तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र कज्जूराम जाति जाट नि0 गोजडा की ढाणी, तह0 जोबनेर जिला जयपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री रामसिंह वकील प्रार्थीगण

दिनांक :– 05.07.2024

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2238/1942 रकबा 0.0550 हे0 वाके ग्राम अगरपुरा तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु खसरा नं0 2247/2222 रकबा 0.2398 हे0 वाके ग्राम अगरपुरा में वैकल्पिक रास्ता बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में खसरा नंबर 2247/2222 के खातेदार ने उक्त रास्ते को बंद कर दिया है। इसलिए अब प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाऊ व विकसित करने के लिए खसरा नंबर 2247/2222 रकबा 0.2398 हे0 वाके ग्राम अगरपुरा में से आराजी खसरा संख्या 2238/1942 तक पहुचंने के लिए 15 फुट चौडाई के नये मार्ग की आवश्यकता है। अतः आराजी खसरा नम्बर 2247/2222 मे से 15 फुट चौडाई के रास्ते को रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 21.02.2024 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 2238/1942 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 2247/2222 मे से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ख0नं0 2247/2222 किस्म चाही 2 बारानी 2 रकबा 0.2398 में बिन्दू 'जी' से 'एच' तक है। खसरा नं0 2246/2222 किस्म बारानी 2 रकबा 0.0510 राजस्व रिकार्ड में दर्ज सिवायचक भूमि है। उक्त खसरा नं0 में मौके पर ब्लॉक से बनी हुई सडक है। मौके पर बिन्दू 'ई' से 'एफ' तक खातेदारी भूमि में रास्ता चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। बिन्दू 'ई' से 'एफ' व 'जी' तक बने हुए रास्ते का उपयोग खसरा नं0 1940, 2221/1940, 2220/1940 व 2247/2222 के खतेदार एवं गाजेडा की ढाणी में बसे हुए लोगों द्वारा किया जा रहा है। चाहा गया रास्ता निकटतम है, प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 34 मीटर एवं चौडाई 5 मीटर है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वैकल्पिक रास्ता विन्दू 'सी' से 'डी' की लम्बाई 449 मी0 एवं चौडाई 5 मीटर है, जो खसरा संख्या 1933 रकबा 5.0201 में से है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। चाहे गये रास्ते की भूमि पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोबनेर का रहन दर्ज है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। उक्त रिपोर्ट संबंधित खातेदारो को नोटिस देकर तैयार की गई है।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो का दोहरान किया तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 2238/1942 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 2247/2222 से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 2238/1942 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 2247/2222 से रास्ता चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 2246/2222 से शुरू होकर प्रार्थीगण के खसरा संख्या 2238/1942 तक है, खसरा नं0 2246/2222 किस्म बारानी 2 रकबा 0.0510 राजस्व रिकार्ड में दर्ज सिवायचक भूमि है। उक्त खसरा नं0 में मौके पर ब्लॉक से बनी हुई सडक है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 34 मीटर एवं चौडाई 5 मीटर है। वैकल्पिक रास्ता बिन्दू 'सी' से 'डी' की लम्बाई 449 मी0 एवं चौडाई 5 मीटर है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौका अनुसार प्रार्थीगण को न्यूनतम दूरी का रास्ता आ.0ख0नं0 2247/2222 से ही उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु आवश्यक है। मौके की स्थिति अनुसार सुगम एवं सुविधा जनक रास्ता यही है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आ.0ख0नं0 2247/2222 में से रास्ता दिया जाना सरल एवं सुगम प्रतीत होता है। जिसकी लम्बाई 34 मीटर एवं चौडाई 5 मीटर है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 2238/1942 तक आराजी खसरा नम्बर 2247/2222 में से होकर 34 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार जोबनेर दिये जाने वाले रास्ते की भूमि की गणना कर प्रार्थीगण से प्रचलित डीएलसी रेट के अनुसार गणना कर दुगनी राशि जमा कर अप्रार्थी को नियमानुसार अदा करेगे एवं राजस्व रिकार्ड में दिनांक 21.02.2024 की रिपोर्ट के अनुसार कुल लम्बाई 34 मीटर का गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेगें। तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)